कम्प्यूटर पत्रांक- 1718094 दिनांक 26-02-2018

पत्रांक:: जी.एस.टी./2017–18/सेवाओं पर राजस्व–सूचना संकलन एवं कार्यवाही/ 1457/वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 26 फरवरी, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– Works Contract Services पर समय से राजस्व जमा कराने के सम्बन्ध में।

जी.एस.टी. विधि में Works Contract को Supply of Services माना गया है। जी.एस.टी. लागू होने से पूर्व Works Contract के विरूद्ध भुगतान के समय टी.डी.एस. कटौती की व्यवस्था थी तथा Works Contract के लिए समाधान योजना लागू थी। जी.एस.टी. से पूर्व Works Contract पर टी.डी.एस. की दर 4% थी। जी.एस.टी. रिजीम में रेस्टोरेन्ट सर्विसेज़ के अतिरिक्त अन्य सर्विसेज के लिए समाधान की सुविधा अनुमन्य नहीं है। यद्यपि टी.डी.एस. कटौती के प्राविधान उत्तर प्रदेश एस.जी.एस.टी. /सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा–51 में हैं, किन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश एस.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. की धारा–51 लागू नहीं हुयी है, जिसके कारण इस समय टी.डी.एस. कटौती नहीं हो रही है। जी.एस.टी. रिजीम में अधिकांश Works Contract Services 12% एवं 18% की दर से करयोग्य हैं। **मुख्यालय पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष: 2016–17 में राज्य में टी.डी.एस. के मद में रू0 244315.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है। स्पष्ट है कि Works Contract Services राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत है।** इस समय ठेकेदारों को रिटर्न और समस्त कर स्वयं जमा कराना है, अधिकांश संविदाकारों द्वारा रिटर्न न दाखिल करने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नियमित रिटर्न के अभाव में अधिकांश संविदाकारों की वास्तविक वार्षिक टर्नओवर अंतिम कर निर्धारण हेतु दाखिल विवरण से ही संज्ञान में आ पाती थी। ठेकेदारों के रिटर्न नॉन–फाइलिंग ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह संभावना प्रबल है कि अभी भी बड़ी संख्या में संविदाकार नॉन–फाइलर्स की सूची में हों तथा रिटर्न नॉन–फाइलिंग के कारण राजस्व का बड़ा हिस्सा प्राप्त न हो रहा हो।

मुख्यालय स्तर पर माह जनवरी/फरवरी में उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये 10412 ई–टेण्डर्स की एक्सल शीट तैयार की गयी है। यह एक्सल शीट सभी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर की ई–मेल आई.डी. पर दिनांक 19.02.2018 को प्रेषित कर दी गयी है।

उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

(1) प्रत्येक खण्ड में वर्ष: 2014–15, 2015–16, 2016–17 के उपलब्ध आँकड़ों के आधार खण्ड के संविदाकारों की सूची संकलित कराकर निम्न प्रारूप में एक्सल शीट करायी जाए –

क्र0सं0	संविदाकार का नाम	GSTIN	उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जी.एस.टी. से पूर्व टर्नओवर (लाख रू0 में)	जी.एस.टी. के अन्तर्गत रिटर्न दाखिल करने की स्थिति

इस शीट के आधार पर नॉन फाइलर्स की सघन मॉनिटरिंग करते हुए देय राजस्व प्राथमिकता पर जमा कराया जाए तथा जी.एस.टी. से पूर्व रू0 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर के संविदाकारों की एक्सल शीट दिनांक 15.03.2018 तक जी.एस.टी. अनुभाग की मेल आई.डी. ***upctres@gmail.com*** पर प्रेषित की जाए।

(2) प्रत्येक जोन में किसी अधिकारी की निगरानी में दो दक्ष तृतीय श्रेणी कार्मिकों का ग्रुप बनाकर मुख्यालय द्वारा प्रेषित डाटा उनकी मेल पर दिया जाए तथा जोन से सम्बन्धित डाटा छँटनी करा कर इसे खण्डवार तैयार करा कर सभी खण्डाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाए।

(3) प्रत्येक जोन से सम्बन्धित सूची में अंकित निविदाओं के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं से सम्पर्क कर यह सूचना संकलित की जाये कि सम्बन्धित अनुबन्ध किस संविदाकार को प्राप्त हुए हैं। विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं से संपर्क कर वांछित सूचना संकलन हेतु वाणिज्य कर अधिकारियों का एक ग्रुप बना दिया जाए, जिसकी मॉनिटरिंग ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा की जाए। खण्डवार तैयार की गयी निविदाओं की सूची में संविदाकारों का नाम भी अंकित करा लिया जाए तथा संविदाकारों के नाम सहित खण्डवार तैयार की गयी, यह एक्सल शीट दिनांक 15.03.2018 तक जी.एस.टी. अनुभाग की मेल आई.डी. ***upctres@gmail.com*** पर उपलब्ध करायी जाए।

(4) प्रत्येक खण्ड के अधिकारी इस सूची से मिलान कर यह सुनिश्चित करें कि संविदाकारों द्वारा नियमानुसार रिटर्न एवं कर जमा कराया जा रहा है अथवा नहीं।

(5) जिन मामलों में रिटर्न/कर जमा किया जाना न पाया जाए, उन मामलों की एक्सल सूची खण्डवार तैयार कराकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाए।

(6) स्थानीय स्तर पर निविदाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापनों, विभिन्न साइट्स पर उपलब्ध सूचनाओं तथा विभिन्न विभागों से सम्पर्क कर इस प्रकार की अन्य सूचनाएं भी स्थानीय स्तर पर संकलित कराकर तद्नुरूप कार्यवाही करायी जाए।

(7) संविदाकारों से शत–प्रतिशत रिटर्न फाइल कराने तथा Works Contract Services पर समस्त देय राजस्व इसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने के सम्बन्ध में एक कार्ययोजना प्रत्येक संभाग में तैयार की जाए तथा यह कार्ययोजना एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 से अनुमोदित करायी जाए।

(8) इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की एक संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ययोजना सहित जी.एस.टी. अनुभाग को दिनांक 20.03.2018 तक मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए।

निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करायें।

23/2/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश